राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 34 / 2023 निगरानी

भूपेन्द्र सिंह राणावत पिता प्रहलाद सिंह राणावत निवासी 137, रावला के पास, अगरपुरा, ग्राम पंचायत हलेड तहसील व जिला भीलवाडा राज.

–निगराकार

बनाम

1. रणजीत सिंह राजपुत पिता हिम्मत सिंह राजपूत निवासी पिथास, हाल मुकाम शिवाजी नगर कांवा खेड़ा, तहसील व जिला भीलवाडा राज०
2. Optimum Outwear Private Limited जरिये डॉयरेक्टर श्री प्रेमशंकर झंवर पता हलेड तहसील व जिला भीलवाडा राज०
3. Optimum Outwear Private Limited जरिये डॉयरेक्टर श्री रामनिवास झंवर पता हलेड तहसील व जिला भीलवाडा राज०
4. ग्राम पंचायत हलेड जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हलेड, पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाडा राज०
5. ग्राम पंचायत हलेड जरिये सरंपच, ग्राम पंचायत हलेड, पंचायत समिति विपक्षीगण सुवाणा जिला भीलवाडा राज०

–गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बाबत् पुनरीक्षण ग्राम पंचायत हलेड़ द्वारा विपक्षी–1 के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 144 दिनांकित 18 / 12 / 1986 तथा नवीनीकृत आदेश दिनांक 20.05.2019 के विरूद्ध

उपस्थित – 1. अभिमन्यु जोशी, निगराकार की ओर से
2. गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता, गैर निगराकार–2 की ओर से
3. संजय सेन, अधिवक्ता, गैर निगराकार –4 की ओर से

(मुहर: न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.))

निर्णय

दिनांक 10 / 02 / 2026

निगराकार द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि निगरानी अनुसार निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत हलेड का निवासी हैं और गांव का एक जागरूक नागरीक है होने से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। वि0सं–1 के पक्ष में ग्राम पंचायत हलेड द्वारा ग्राम हलेड में बापी पटटा संख्या 144 दिनांकित 28 / 12 / 1986 जिसकी पत्रावली कमांक 10 / 2043. दिनांक 23 / 10 / 1986 है, गलत तौर जारी किया गया है और ग्राम पंचायत

10.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हलेड द्वारा दिनांक 20/05/2019 को नवीनीकरण किया गया जिसकी नपती 60 फिट बाई 85 फिट होकर पडौस निम्नानुसार है पूर्व में आम रास्ता पश्चिम में पानी का नाला, उत्तर में आम रास्ता और दक्षिण में पडत भूमि स्थित है। वि0सं–1 द्वारा दिनांक 20/07/2016 को विपक्षी संख्या 02 व 03 को जरिये विक्रय पत्र यह जमीन विक्रय कर दी गई और हाल ही में विपक्षी संख्या 02 व 03 द्वारा ग्राम पंचायत हलेड की भूमि पर अवैध तौर से निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया जिस पर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत हलेड व विपक्षीगण से जानकारी प्राप्त की गई तो विपक्षीगण द्वारा गलत तौर से जारी किये गये पट्टे व रजिस्ट्री की जानकारी हुई। विपक्षी संख्या 01 द्वारा अवैध व गलत तौर से विपक्षी संख्या 02 व 03 के पक्ष में दिनांक 20/07/2016 को विक्रय पत्र का पंजीयन कराया गया है। चूंकि विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा ही अवैध व शुन्य है और कोई अधिकार विपक्षी संख्या 01 को प्राप्त नहीं होते है। इस कारण विपक्षी संख्या 02 व 03 जो कि विपक्षी संख्या 01 की फुट स्टेप पर आये है। उन्हे भी पट्टा संख्या 144 दिनांकित 25/12/1986 शुन्य होने से विपक्षी संख्या 02 व 03 को भी कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते है। बापी पट्टा ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासीयों को तब जारी किया जाता है जब वर्षो से ऐसे निवासी व व्यक्ति का कब्जा एवं आधिपत्य चला आ रहा हो। रणजीत सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह राजपूत ग्राम पंचायत हलेड का कभी भी निवासी नहीं रहा और न ही वर्तमान में निवासी है। इस कारण ऐसे अंजान व्यक्ति को जिसका कभी कोई पुराना कब्जा आधिपत्य पैतुक तौर पर नहीं रहा हो उसे बापी पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। बापी पटटा की आड में पंचायत के द्वारा बेशकिमती भूमि को अन्जान व्यक्ति को कोडियों के भाव दे दी गई है जो पंचायत के साथ साथ सभी ग्राम वासीयों एवं निगरानी कर्ता के हक व अधिकारों का हनन है। बापी पट्टा संख्या 144 दिनांक 28/12/1986 के साईज 85 फिट बाई 60 फिट अर्थात 5100 वर्गफिट है जो कि बहुत अधिक क्षेत्रफल है। पंचायत को इतने अधिक क्षेत्रफल बाबत पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। पट्टा आवासीय मकान हेतु दिया गया परन्तु 1986 से लेकर हाल 2016 तक कोई निर्माण रणजीत सिंह द्वारा नहीं किया गया अर्थात पट्टा धारक रणजीत सिंह द्वारा 30 वर्षो तक भी कोई निर्माण नहीं किया गया जबकि पट्टा आवासीय मकान के निर्माण हेतु जारी किया गया था। इस प्रकार रणजीत सिंह विपक्षी संख्या 01 ने पट्ट में उल्लेखित शर्तो की अवहेलना की है। इस कारण पट्टा खारीज किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 रणजीत सिंह द्वारा दिनांक 22/07/2016 को 15,30,000/– रूपये प्रतिफल में यह भूमि विपक्षी संख्या 02 व 03 को विकय कर दी गई। रणजीत सिंह द्वारा ग्राम पंचायत हलेड का निवासी न होते हुए गलत तौर से पट्टा दिया गया और पट्टे की शर्तो की अवहेलना करते हुए 30 वर्षो तक निर्माण कार्य न कर ग्राम पंचातय की भूमि को 15,30,000/–रूपये में विपक्षी संख्या 02 व 03 को विक्रय कर दी गई जिससे स्पष्ट है कि रणजीत सिंह ने मात्र नाजायज लाभ कमाने के दूराशय से ग्राम पंचायत हलेड से मिलाभगती करते हुए गलत तौर से स्वयं के पक्ष में पट्टा जारी करवाया है। विपक्षी संख्या 01 को पट्टा जारी किया गया है उसमें कही पर भी आराजी संख्या का हवाला नहीं है कि पंचायत द्वारा किस आराजी में पट्टा जारी किया गया है। पट्‌टा पंजीकृत भी नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता ने ग्राम पंचायत हलेड से विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा बाबत जानकारी चाही तो ग्राम पंचायत हलेड ने पुनरीक्षणकर्ता को यह जानकारी दी है कि ग्राम पंचायत हलेड के कार्यालय में पट्टा संख्या 144 दिनांकित 28/12/1986 तथा नवीनीकरण दिनांकित 20/05/2019 के संबंध में कोई भी रिकोर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत हलेड द्वारा विपक्षी संख्या 01 को नियमों के विरूद्ध पट्टा जारी किया गया जो खारीज किये जाने योग्य है। धारा 97 राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम के तहत पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की कोई परिसीमा विहित नहीं है। विपक्षी संख्या 01 को जारी पट्टे एवं नवीनीकरण आदेश की कोई जानकारी पुनरीक्षणकर्ता को नहीं थी। जनवरी 2023 के अंत में पटटे की फोटो प्रति प्राप्त होते ही दिनांक 02/02/2023 को सूचना के अधिकार के तहत पट्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने बाबत आवेदन दिया गया. परन्तु पंचायत ने जानकारी देने से इंकार कर दिया। इस प्रकार याचिका बिना किसी विलम्ब के विहित परिसीमा अवधि में यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि पुनरीक्षण याचिका की ओर से प्रस्तुत पंचायत हलेड द्वारा पुनरीक्षण याचिका स्वीकार फरमाकर ग्राम रणजीत सिंह के पक्ष में जारी पट्टा कमांक 144 दिनांकित 18/12/1986 तथा

जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नवीनिकृत आदेश दिनांक 20/05/2019 को अपास्त फरमाया जावे। अन्य अनुतोष जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे पुनरीक्षणकर्ता को दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

निगरानी पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए। गैर निगराकार 2 व 3 का जवाब प्राप्त किया गया।

गैर निगराकार 02 व 03 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार निगराकार ने मिथ्यापूर्वक स्वयं को ग्राम हलेड़ का जागरूक नागरिक होने का तथ्य असत्य वर्णित किया है। वास्तविक तौर निगराकार विपक्षी से द्वेषता रखता है तथा नाजायज राशि ऐंठना चाहता है इस गरज से असत्य एवं आधारहीन तथ्यों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। जवाबदाता विपक्षी द्वारा ग्राम पंचायत, हलेड़ की आबादी भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं किया है। विपक्षी द्वारा अतिक्रमण करने का तथ्य प्रार्थी/निगराकार ने असत्य वर्णित किया है। जवाबदाता विपक्षी ने वादग्रस्त भूखण्ड को विपक्षी सं. 01 से क्रय किया है तथा विपक्षी सं. 01 को ग्राम पंचायत हलेड़ द्वारा दिनांक 18/12/1986 को पट्टा जारी किया हुआ है तथा उक्त जारी किये गये पट्टे का नवीनीकरण दिनांक 20/05/2019 को किया है। ऐसी स्थिति में पट्टा किसी प्रकार गलत तौर जारी नहीं होकर पूरी तरह नियमानुसार जारी किया गया है।

विपक्षी सं. 01 को पट्टा पूरी तरह से नियमानुसार जारी किया गया है। पंचायत द्वारा तत्समय नियमों की पूरी पालना करते हुए पट्टा जारी किया हुआ है तथा नियमानुसार नवीनीकरण किया गया है। चूंकि विपक्षी सं. 01 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था तथा उसका नवीनीकरण दिनांक 20/05/2010 को किया गया था तथा उसका कब्जा विपक्षी सं. 01 का होने के कारण विपक्षी सं. 02 व 03 ने विपक्षी सं. 01 से पट्टाशुदा भूखण्ड क्रय किया है तथा भूखण्ड क्रय करने के कारण विपक्षी सं. 02 व 03 को हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने, निर्माण करने का अधिकार है पट्टा किसी प्रकार नियम के विपरित नही है। प्रार्थी / निगराकार विपक्षीगण से नाजायज राशि ऐंठना चाहता है इस कारण बदनियति पूर्वक आशय से यह निगरानी प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। उपधाराओं में वर्णित तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। पट्टा पूरी तरह नियमों के अनुसार जारी किया गया है। विपक्षी सं. 01 का पट्टाशुदा भूखण्ड पर कब्जा रहा है इसी कारण पंचायत द्वारा वर्ष 2019 में नवीनीकरण किया गया है तथा पंचायत द्वारा विपक्षी सं. 01 को बापी पट्टा जारी किया है जो तत्समय प्रचलित राशि के अनुसार 150/– रूपये भेंटस्वरूप प्राप्त कर पट्टा जारी किया है ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा जो भी आक्षेप लगाये है पूरी तरह से निराधार है एवं निगरानी खारिज होने योग्य है। बापी पट्टे में क्षेत्रफल किसी प्रकार बाधक नहीं है तथा बापी पट्टा जारी करने की दिनांक से ही विपक्षी सं. 01 का कब्जा रहा तथा पट्टा नवीनीकरण किया गया ततपश्चात् विपक्षी सं. 02 व 03 द्वारा क्रय किया गया एवं वर्तमान में कब्जा विपक्षी सं. 02 व 03 का है तथा विपक्षी सं. 02 व 03 द्वारा व्यवसाय संचालित किया जा रहा है। निगराकार ने निगरानी नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से प्रस्तुत की है तथा पट्टा वर्ष 1986 का जारीशुदा है जिसे जारी हुए 35 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया है इतने वर्षों बाद निगरानी के जरिये पट्टा खारिज कराने बाबत् जो निगराकार ने कार्यवाही की है वह पूरी तरह से मियाद बाहर है तथा खारिज होने योग्य है। विपक्षीगण को पंचायत द्वारा नोटिस दिनांक 30/03/2022 का भी जारी किये जिसका जरिये अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05/04/2022 से जवाब प्रेषित कर दिये गये के पश्चात् निगराकार ने यह निगरानी असत्य एवं आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है। निगराकार नें झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि निगरानी मय खर्चा खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि उक्त निगरानी लगभग 35 वर्षों पश्चात् प्रस्तुत करने से मियाद बाहर ठहरती है। वर्तमान में विपक्षी 2 व 3 का कब्जा होकर फोटोग्राफ संलग्न किए गए हैं। अतः निगरानी निगरानी अस्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रश्नगत पट्टा जारी होने से निगरानी आधारहीन, सारहीन व लगभग 35 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत होकर मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हलेड़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.2.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त ज़िला कलक्टर,
भीलवाड़ा